प्रकरण संख्या 28/2012 सुरेन्द्रसिंह बनाम लक्ष्मणसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.01.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सगरूण का नोहरा के राजस्व खाते 637 एवं 638 जिनका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ठ ''अ'' एवं ''ब'' में किया जा रहा है, पैत्रृक होकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमियां हैं। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। उक्त समस्त भूमियां किता 54 रकबा 25 बीघा साढे 3 बिस्वा है, जिसमें पक्षकारान का हिस्सा वाद पत्र की कलम संख्या 4, 5 व 6 अनुसार है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को उनके पिता के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया एवं वादीगण का वाद खारिज करने एवं काउण्टर क्लेम स्वीकार का उनके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 7 तनकियात कायम की गयी एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 24.04.2.12 से वादीगण का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11.06.2012 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 की ओर से वकील श्री सम्पतलाल लढ्ढा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों को सुना गया। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण ने तनकी नंबर 1 से 5 अपनी साक्ष्यों से बखूबी साबित कराया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी	

साक्ष्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया है तथा रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्रों को सही मानने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे एवं अपीलान्टगण द्वारा वाद में चाही गयी दाद उसे दिलायी जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रस्तुत सजरे अनुसार मूल पुरूष सरदारसिंह के चार पुत्र हमेरसिंह, सोहनसिंह, हिम्मतसिंह व नाहरसिंह हुए इस प्रकार प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा बनता है तथा हिम्मतसिंह के चार पुत्र लक्ष्मणसिंह, फतेसिंह, लालसिंह व भेरूसिंह होने से प्रत्येक का 1/16, 1/16 हिस्सा बनता है, किन्तु जमाबन्दी में फतेसिंह व लालसिंह का ही नाम दर्ज है, लक्ष्मणसिंह एवं भैरूसिंह का नाम दर्ज नहीं है, जबकि वादीगण लक्ष्मणसिंह एवं भैरूसिंह के वारिस हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हालांकि तनकीवार विवेचन किया गया है, किन्तु साक्ष्यों का सही विवेचन किया जाना हम नहीं पाते हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.04.2012 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों को पुनः विधिवत सुनवाई का अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों का पुनः विवेचन करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.03.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.02.11 15:45:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: